भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2746

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को प्रदान की गई सब्सिडी

2746. श्रीमती साजदा अहमदः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को प्रदान की गई सब्सिडी का वर्ष-वार तथा योजना-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही वर्तमान सब्सिडियों का कृषि उत्पादकता तथा किसानों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया गया है,

(ग) क्या किसानों को प्रदान की जाने वाली वर्तमान सब्सिडी में कटौती करने अथवा उसकी पुनर्संरचना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है,

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों पर इसके संभावित प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सब्सिडी संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में किसानों को निरंतर वित्तीय सहायता एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए, केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला कार्यान्वित कर रही है, जिसमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें (बागवानी सहित), बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, किसानों से फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ख): सरकार समय-समय पर निगरानी तंत्र, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन, प्रभाव आकलन अध्ययन और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन और परिणामों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने इन योजनाओं की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, परिणाम और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कार्यान्वयन की जांच करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन और व्यापक आकलन किया है।

मूल्यांकन के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि खाद्यान्न और बागवानी में कृषि क्षेत्र का प्रभावशाली प्रदर्शन पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और रोजगार सृजन में इसकी केंद्रीय भूमिका को उजागर करता है। रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते विविधीकरण, डिजिटल एकीकरण और सहायक नीतिगत फ्रेमवर्क के साथ, यह क्षेत्र अधिक अनुकूल, समावेशी और बाजार से जुड़े विकास मॉडल की ओर अग्रसर है। हाल के वर्षों में कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं की व्यापक श्रृंखला उत्पादकता, स्थिरता और प्रशासनिक सुधारों को मिलाकर समग्र विकास की दिशा में एक कार्यनीतिक बदलाव को दर्शाती है। इन निरंतर हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013-14 में 265.05 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में 376.56 मिलियन टन हो गया है, जबकि बागवानी उत्पादन वर्ष 2013-14 में 280.70 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 (दूसरा अग्रिम अनुमान) में 377.77 मिलियन टन हो गया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। यह सर्वेक्षण जुलाई, 2018 से जून, 2019 के कृषि वर्ष के संदर्भ में किया गया था। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 70वां दौर) में 6,426 रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 77वां दौर) में 10,218 रुपये हो गई है।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू व्यय में निम्नलिखित वृद्धि दिखाई देती है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-24
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996

(ग) से (ड.): सरकार समय-समय पर अपनी योजनाओं के वित्तीय आवंटन, डिजाइन और कार्यान्वयन कार्यनीति की समीक्षा करती है ताकि दक्षता, पहुंच, कवरेज, प्रभावशीलता, पारदर्शिता, कन्वर्जेंस और सुगम पहुंच में सुधार किया जा सके और किसानों को निरंतर वित्तीय सहायता और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

अनुबंध I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित योजनाओं की सूची।

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)
6. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)
7. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
8. डिजिटल कृषि मिशन
9. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
10. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
11. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
12. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
13. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ)
14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
15. राष्ट्रीय बांस मिशन
16. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
17. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
18. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
19. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
20. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
21. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
22. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
23. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
24. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
25. 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
26. स्टार्ट-अप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
27. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
28. कृषि वानिकी
29. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड
30. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)

अनुबंध II

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का योजनावार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**मिशन/योजना का नाम**	**2021-22**
I- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ/परियोजनाएँ		
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-एनसीआईपी	13549.24
2	किसानों को अल्पकालिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	21476.93
3	बाजार हस्तक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस/पीएसएस) का कार्यान्वयन	2288.33
4	कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में दलहन का वितरण	50
5	फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण संवर्धन	691.3
6	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	66825.11
7	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	39.5
8	किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन	427.04
9	एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	21.43
II - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ		
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल	1796.12
2.1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1729.11
2.2	कृषोन्नति योजना	
2.2.1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	995.17
2.2.2	जैविक खेती को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय परियोजना	0.26
2.2.3	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	133.29
2.2.4	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	8.76
2.2.5	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (आरएडीपी और जलवायु परिवर्तन)	76.83
2.2.6	परम्परागत कृषि विकास योजना	88.57
2.2.7	राष्ट्रीय कृषि-वानिकी परियोजना	8.37
2.2.8	एकीकृत बागवानी विकास मिशन जिसमें राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन (एनबीएचएम) भी शामिल है	994.83
2.2.9	उप-मिशन के लिए बीज और रोपण सामग्री	141.05
2.2.10	पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध संबंधी उप-मिशन	25.33
2.2.11	कृषि विस्तार उप-मिशन	820.98
2.2.12	सूचना प्रौद्योगिकी	40.08
2.2.13	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन	816.55
2.2.14	एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी योजना	267.11
2.2.15	एकीकृत कृषि सहयोग योजना	341.67
2.2.16	एकीकृत कृषि विपणन योजना	238.28
2.2.17	राष्ट्रीय बांस मिशन	20.59

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	मिशन/योजना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
क.	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ**			
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-एनसीआईपी	10296.03	12948.50	14473.46
2	संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)	17997.89	14251.93	22600.00
3	बाजार हस्तक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस/पीएसएस) का कार्यान्वयन	4007.00	-	22.59
4	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	-	2200.00	5437.99
5	कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में दलहन का वितरण	166.21	446.30	246.62
6	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	58253.82	61440.74	66121.2
7	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)	12.50	100.00	100.00
8	किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन	124.19	428.86	474.24
9	एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	147.12	475.23	725.34
10	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	-	22.5	66.50
11	नमो ड्रोन दीदी	-	-	1.48
12	कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप वित्तपोषण हेतु मिश्रित पूंजी सहायता, कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक	-	-	62.50
13	कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एवं विकास कोष में अतिरिक्त अंतरण	-	5000.00	6000.00
ख. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ				
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5247.44	5760.93	7386.14
2	राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन	-	30.19	10.35
3	कृषोन्नति योजना	4715.95	5736.22	5599.70

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम/विवरण	2025-26
क.	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ**	
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	10975.93
2	संशोधित ब्याज सब्सिडी	18366.80
3	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	4500.83
4	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	58860.10
5	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	50.00
6	किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन	583.38
7	एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	905.50
8	नमो ड्रोन दीदी	1.15
9	कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप वित्तपोषण हेतु मिश्रित पूंजी सहायता, कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक	7.51
10	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	100.00
11	मखाना बोर्ड के लिए समर्थन	26.62
12	प्रौद्योगिकी के नवाचार और अपनाने के लिए निधि	139.29
ख.	**केंद्र प्रायोजित योजनाएँ**	
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	7489.20
2	राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन	582.02
3	कृषोन्नति योजना	6789.14
